#### कार्यालय संचालक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान

पोलीपाथर, ग्वारीघाट रोड, जबलपुर — 482008 (म.प्र.) दूरभाष : 0761—2665540, फैक्स : 0761—2661304

email: mpsfri@mp.gov.in, mpsfri@gmail.com Website : www.mpsfri.org

NIT No/SFRI/Store/1/515

# ई—निविदा Website : https:mptenders.gov.in वाहन किराये पर लेने हेतु

संस्थान को किराये पर वाहन प्रदाय हेतु ई—निविदा https:mptenders.gov.in के माध्यम से आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र https:mptenders.gov.in वेबसाईट पर दिनांक 25/02/2023 से उपलब्ध होगा। निविदा प्रपत्र ऑनलाईन भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा केवल ऑनलाईन ही स्वीकार की जावेगी, अन्य माध्यम से प्रस्तुत निविदा आमन्य रहेंगी। ई—निविदा हेतु विवरण निम्नानुसार है:

Tender Fee in Rs.	:	3000/-
EMD in Rs.	:	15,000/-
Published Date	:	25/02/2023 15:00hrs.
Document Donwnload / Sale Start Date	:	25/02/ 2023 15:00hrs.
Document Sale End Date	:	27/03/2023 18:00hrs.
Pre Bid Meeting	:	06/03/2023 15:00hrs.
Bid Sumission Start Date	:	25/02/2023 15:00hrs.
Bid Sumission End Date	:	27/03/2023 18:00hrs.
Bid Opening Date (Techical Bid)	:	29/03/2023 12:00hrs.

कृपया निविदाकार निविदा प्रपत्र भरने से पूर्व सभी नियम एवं शर्तों को ध्यान से पढकर भरें।

> **संचालक** राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर (म.प्र.)

Jabalpur, Dated: 22 /02 /2023

## निविदा प्रपत्र (सामान्य विवरण)

1.	निविदाकार का नाम	
2.	निविदाकार का पूरा पता	
	दूरभाष नं./मोबाईल नं	
	ईमेलः	
3.	(i) वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीयन क्रमांव	চ(GSTIN)
	(ii) आयकर विभाग का PAN क्रमांक	
4.	कार्य का नाम जिसके लिए निविदा दी जा	रही है
5.	संलग्न प्रतिभूति राशि का विवरण	
	1. बैंक का नाम	
	2. शाखा का नाम/IFSC कोड	
	3. बैंक ड्राफ्ट क्रमांक	
	4. राशि अंको में	
	5. राशि शब्दों में	
उक्त श		<b>षणा</b> नियमों को भली–भांति पढ़ एवं समझ लिया है तथा
		निविदाकार के हस्ताक्षर
दिनांक		निविदाकार का नाम एवं पता
		दूरभाष क्रमांक

#### कार्यालय संचालक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान

पोलीपाथर, ग्वारीघाट रोड, जबलपुर – 482008 (म.प्र.)

#### निविदा प्रपत्र भरने एवं प्रस्तुत करने के संबंध में निर्देश

- (1) किराये के वाहन प्रदाय हेतु निविदाकार के पास में स्वयं के स्वामित्व की ट्रैवल्स एजेन्सी / मालिकाना फर्म होना चाहिये।
- (2) संचालक को किसी या सभी निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।
- (3) निविदाकार द्वारा विगत 03 वर्षों में शासकीय संस्थाओं में दी गई सेवाओं की जानकारी संलग्न करें।
- (4) सफल निविदाकार की निविदा की स्वीकृति दिनांक से एक सप्ताह के अंदर संस्थान के साथ अनुबंध निष्पादित करना होगा। निर्धारित समयाविध में करारनामा निष्पादित नहीं करने पर प्रतिभूति राशि राजसात करते हुए निविदाकार को संस्थान की काली सूची में तीन वर्षों के लिए दर्ज किया जावेगा। यह अनुबंध निविदा की स्वीकृति दिनांक से एक वर्ष के लिए होगा। निविदाकार द्वारा निविदा प्रपत्र में प्रस्तावित प्रदाय दरों पर किराये के वाहन प्रदाय करने हेतु बाध्य होंगे।
- (5) निविदाकार निविदा निम्नानुसार ऑनलाईन जमा करेंगे।

#### Envelope A — (i) प्रतिभूति राशि (EMD)

निविदाकार को निविदा के साथ निविदा में दर्शित (1) प्रतिभूति राशि (EMD) का बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक, (2) वाणिज्य कर विभाग में पंजीयन क्रमांक (GSTIN), (3) आयकर विभाग का PAN की छायाप्रति (4) अनुभव प्रमाण पत्र एवं (5) हस्ताक्षरित निविदा शर्तें संलग्न करना अनिवार्य है। अन्यथा इसके अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी। असफल निविदकारों की प्रतिभूति राशि वापस कर दी जावेगी। सफल निविदाकारों की प्रतिभूति राशि अनुबंध अविध तक के लिए संस्थान में जमा रहेगी।

निविदा के साथ प्रतिभूति राशि रू. 15,000 / — का ड्राफ्ट जो संचालक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के नाम से देय हो संलग्न की स्केन कॉपी अपलोड करें।

#### (ii) Bidders Agreement Form (संलग्न–1)

- Envelope B (i) BOQ—निविदाकार द्वारा किराये के वाहनों हेतु प्रस्तावित दरें (संलग्न—2)
- (6) (i) सर्वप्रथम Envelope A निर्धारित दिनांक एवं समय पर खोला जावेगा एवं संलग्न अभिलेखों का मूल्यांकन किया जावेगा। यदि Envelope A में आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं हैं, ऐसी स्थिति में Envelope B नहीं खोला जावेगा। तत्पश्चात निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपयुक्त पाये निविदाकारों के Envelope B (BOQ) खोला जावेगा।

- (ii) प्राप्त निविदाओं में से सामान्यतः न्यूनतम दर वाली निविदा स्वीकृत की जावेगी। फिर भी निविदा को मान्य/अमान्य करने का पूरा अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा। इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जावेगा। प्रस्तुत की जाने वाली निविदाआ में उपरोक्त शर्तों से भिन्न कोई शर्त मान्य नहीं की जावेगी।
- (7) इस सूचना से संबंधित कार्यों से उत्पन्न मतभेद / विवाद जबलपुर स्थित सक्षम न्यायालय में ही मान्य होगा। उपरोक्त निविदा शर्तें मुझे मान्य हैं।

	नाम्य हागा। उपरापत ।नापदा रात नुझ नाम्य	81
दिनांक	:	
स्थान :	:	
	(न्नि	विदाकार के हस्ताक्षर)
	नि	विदाकार का नाम :
	प्र	ा पता :
		ान नं

#### राज्य वन अनुसंधान संस्थान पोलीपाथर, ग्वारीघाट रोड, जबलपुर (म.प्र.) — 482008

#### किराये के वाहन प्रदाय हतु शर्ते

- (1) निविदा में 1. टोयोटा ईनोवा 2. महिन्द्रा स्कार्पियो 3. महिन्द्रा बुलेरो 4. महिन्द्रा टीयूवी 5. मारूति डिजायर 6. टैम्पों ट्रेवलर के लिए एसी एवं बसों के लिए नान एसी किराये की दरों का उल्लेख पृथक—पृथक किया जावे। वाहनों की दरें बिना पी.ओ.एल. की समस्त करों सहित दी जावे।
- (2) वाहन का माडल वर्ष **2018** या उसके बाद का होना चाहिए। तथा वाहन अच्छी स्थिति में होना चाहिए।
- (3) प्रदायित वाहन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे में पंजीकृत होना चाहिये। पंजीयन प्रलेखों को छायाप्रति अनिवार्य रूप से अपलोड की जावेगी।
- (4) प्रदाय किये जाने वाले वाहनों के उपयोग हेतु टोल टैक्स का प्रदाय संस्थान द्वारा किया जायेगा।
- (5) वाहन ड्रायवर सिहत उपलब्ध कराना होगा तथा वाहन की टूटफूट एवं रखरखाव के समस्त व्यय वाहन मालिक /फर्म को वहन करना होगा। वाहन चालक को लाइसेंस धारी होनी चाहिये तथा उसका आचरण अनुशासित होना चाहिये। उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं होना चाहिये।
- (6) वाहन एजेंसी पर देय समस्त शासकीय/अन्य करों आदि के नियमानुसार भुगतान का व्यय वाहन किराये पर देने वाले मालिक/फर्म का होगा।
- (7) किराये का वाहन बीमित होना चाहिये तथा वाहन के साथ कोई दुर्घटना एवं किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति आदि के लिए समस्त उत्तरदायित्व वाहन किराये पर देने वाली एजेंसी का होगा। वाहन की बीमा की छायाप्रति करारनामें के साथ लगाना अनिवार्य होगा।
- (8) वाहन किराये पर लेन की अवधि / वाहनों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
- (9) वाहनों का प्रदाय आवश्यकतानुसार समय—समय पर जारी किये जाने वाले प्रदाय आदेशों में दर्शित निर्देशों के तहत किराये के वाहनो को संस्थान में प्रदाय करना होगा।
- (10) किराये पर प्रदाय किये गये वाहनों का किराये का भुगतान वाहन प्रभारी / किराये पर ले जाने वाले अधिकारी / कर्मचारी द्वारा प्रदायित बिल का सत्यापन के उपरांत ही किया जा सकेगा।
- (11) डीजल भराने का उत्तरदायित्व संस्थान का होगा।
- (12) उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर प्रथम एवं द्वितीय बार में क्रमशः रु. 1000/— तथा 2000/— अर्थदण्ड के रूप में वसूला जावेगा एवं तीसरी बार शर्तों का उल्लंघन करने पर

समस्त प्रतिभूति राशि राजसात करते हुए निविदा निरस्त कर दी जावेगी एवं निविदा की शेष अविध के लिए किसी अन्य फर्म से कार्य कराने के लिए संस्थान स्वतंत्र हागा।

- (13) सफल निविदाकार को निष्पादन राशि (Performance Guarantee) रू.15000 / का बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक संचालक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के नाम से देय करारनामें के साथ जमा करना होगा।
- (14) यह निविदा दरें वित्तीय वर्ष 2023—2024 के लिये आमंत्रित हैं, सफल निविदाकार एवं संस्थान दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर समान दरों पर आगामी एक वर्ष के लिये बढ़ाई जा सकती है।
- (15) उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन की समस्त प्रकार की मरम्मत, सुधार कार्य, टायर—ट्यूब बैटरी को तत्काल बदलने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की हागी।
- (16) वाहन सेल्फ स्टार्ट होना आवश्यक है। टायर ट्यूब, बेट्री सदैव अच्छी हालत में होना चाहिए। माईलोमीटर चालू हालत में होना चाहिए।
- (17) वाहन में किसी प्रकार की दुर्घटना होने अथवा यातायात या अन्य नियमों का उल्लंघन होने पर सम्पूर्ण जवाबदारी वाहन चालक एवं वाहन मालिक की होगी। वाहन से दुर्घटना मे पीड़ित व्यक्ति को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान का उत्तरदात्वि प्रथम पक्ष का होगा। यदि किसी प्रकार की घटना में किसी अधिकारी/कर्मचारी को न्यायालय में उपस्थित होना पड़ता है तो उसका सम्पूर्ण व्यय प्रथम पक्ष वहन करेगा।
- (18) निविदा में प्रस्तावित दरों में समस्त कर शामिल रहेगा।
- (19) इस सूचना से संबंधित कार्यों से उत्पन्न मतभेद / विवाद जबलपुर स्थित सक्षम न्यायालय में ही मान्य होगा।

उपरोक्त निविदा शर्तें मुझे मान्य हैं।

निविदा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर निष्पादन धरोहर राशि एक माह के अंदर वापस कर दी जावेगी।

दिनांक :	
स्थान :	
	(निविदाकार के हस्ताक्षर)
	निविदाकार का नाम :
	पूरा पता :
	फोन नं

#### किराये पर लिये जाने वाले वाहनों की सूची

अनु.	किराये पर लिये जाने वाले वाहनों का विवरण	यूनिट
	1. प्रतिदिन एवं नाइट हाल्ट बिना पी.ओ.एल की समस्त करों सहित	
	दी जावे।	
	2. वाहन का मॉडल वर्ष 2018 या उसके बाद का होना चाहिए।	
1	टोयोटा ईनोवा वाहन — ए.सी	Each
2	महिन्द्रा स्कार्पियो वाहन – ए.सी.	Each
3	महिन्द्रा बुलेरो वाहन — ए.सी.	Each
4	महिन्द्रा बुलेरो वाहन (टीयूवी) — ए.सी.	Each
5	मारूति डिजायर – ए.सी.	Each
6	टैम्पों ट्रेवलर 09 सीटर — ए.सी	Each
7	बस 28 सीटर (स्वराज माजदा / आईसर / मीत्सुविश) — नॉन ए.सी.	Each
8	बस 40 सीटर (स्वराज माजदा / आईसर / मीत्सुविश) — नॉन ए.सी.	Each

- टीप:— 1. प्रतिदिन किराया एवं नाइट हाल्ट का योग करके जिस निविदाकर की दरें न्यूनतम पाई जावेगी उसे L-1 माना जावेगा।
  - 2. दरें प्रति दिवस (24 घंटे) हेतु रहेंगी। 24 घंटे उपरांत यदि पूर्ण दिवस वाहन का उपयोग संस्थान द्वारा नहीं किया जाता हैं, तो ऐसी स्थिति में 24 घंटे के उपरांत अतिरिक्त अविध के लिए किराये का भुगतान 6–6 घंटे के ब्लॉक में किया जावेगा, जो स्वीकृत निविदा दर का एक चौथाई होगा।
  - 3. वाहन का एवरेज अनुक्रमांक 1 से 5 तक 10 किमी प्रतिलीटर, बिंदु क्रमांक 6, 7, 8, हेतु 5 किमी प्रतिलीटर, से कम नहीं होना चाहिए। इससे अधिक का एवरेज होने पर उसका उपभोग संस्थान द्वारा किया जावेगा, जिसका की कोई भुगतान फर्म को नहीं किया जावेगा।

दिनांक :	
स्थान :	
	(निविदाकार के हस्ताक्षर)
	निविदाकार का नाम :
	पूरा पता :
	फोन नं

#### **TENDERER'S AGREEMENT FORM**

#### (ENVELOPE- A)

NII	No/SF K1/Store/1/515	Ja	paipur, Datea : 22/02/2023
1.		rms and conditions of the N e by the same.	
2.		e details of (i) GSTIN (ii) PAN v) EMD paid in favour of Dir	` ′ •
3.	terms and conditions of t	ure to abide by the conditions of the tender notice. I/We	
	Date	Signature Full Name of the Tenderer Complete Address Telephone No. Mobile No. Fax No- email:	
		Ciliaii.	

### करारनामा

## संस्थान में किराये के वाहन प्रदाय बाबत

संस्थ	यह करारनामा संचालक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, पोलीपाथर, जबलपुर (जिन्हें आगे थान के नाम से संबोधित किया जावेगा) तथा
	जबलपुर (जिन्हें आगे प्रदायकर्ता के नाम से संबोधित
	या जावेगा) के बीच किया जाता है। उभय पक्ष करारनामे की अधोलिखित शर्तों पर सहमत
होक	oर आज दिनांक को करारनामा सम्पादित करते हैं : —
1.	प्रदायकर्ता को निविदा में अंकित दर पर संस्थान को किराये के वाहन आवश्यकता अनुसार
	प्रदान करना होगें।
2.	निर्धारित समयाविध में वाहन उपलब्ध नहीं कराने पर करारनामा को समय पूर्व समाप्त किया जा सकेगा एवं निष्पादन धरोहर राशि राजसात करते हुए निविदाकार को अधिकतम 03 वर्ष के लिए काली सूची में दर्ज किया जावेगा। इस संबंध में संचालक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
3.	यह कारारनामातक के लिये होगा। प्रदायकर्ता स्वीकृत दरों पर किराये के वाहन प्रदाय करने एवं निविदा प्रपत्र में अंकित सभी शतो को मानने के लिये बाध्य होंगे।
4.	किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में केवल जबलपुर स्थित न्यायालय की अधिकारिता होगी।
	हस्ताक्षर हस्ताक्षर
	प्रदायकर्ता का नाम संचालक राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर (म.प्र.)

#### **DECLARATION**

## DECLARATION REGARDING BLACK LISTING/NON-BLACK LISTING FROM TAKING PART IN GOVT. TENDER BY GOVT. DEPT